






बंशीधर बनाम ग्यारसीलाल वगै.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 288 / 2023 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण
	5/9/23	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक...16/10/23 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर </p>
	16/10/23	<p>वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से... पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक...28/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  प्रस्तुतकार </p>
	28/11/23	<p>वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से... पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक...2/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  प्रस्तुतकार </p>
	02/12/24	<p>वकील प्रार्थी उभय/अपार्थी की तलबी जरिये सहमत की जाकर पत्रावली दिनांक 14/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) </p>
	14/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपार्थी 34/12/24 नहीं। बार-बार कावाज लगाई गयी। कावाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं। नत. प्रार्थना पत्र केवल जारी क जमाने पर ही के रखरिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभ्र होकर 01/01/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) </p>